राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in email: pd.rghs@rajasthan.gov.in
Phone: 0141-2740219

क्रमांक :–एफ.1(304)/RGHS/Revolving Chair/2021–22/ 2552 दिनांक 24-02-2022

सीमित निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग वित्त भवन, जयपुर, मे फर्नीचर क्रय की आवश्यकता है। इस हेतु राजस्थान में स्थित उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से दरे आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म / कम्पनी /संस्था निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 07.03.2022 दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (http.sppp.raj.nic.in) एवं विभाग की वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग वित्त भवन, जयपुर, से कार्यालय समय में दिंनाक: 07.03.22 .. को दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक 07.03.2022 को सायः 3.00 बजे खोला जाऐगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।

परियोजना निदेशक
(आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवंप्रा0निधि विभाग राज0जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in email: pd.rghs@rajasthan.gov.in
Phone: 0141-2740219

क्रमांक :–एफ.1 (304) / RGHS / Revolving Chair / 2021–22 / 2552 दिनांक 24.02.2022

M/S.....
.....
.....
.....

विषयः– परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग वित्त भवन, जयपुर, के उपयोग हेतु फर्नीचर क्रय करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय में निम्न विवरणानुसार फर्नीचर क्रय हेतु दरें समस्त कर/खर्च के आमंत्रित की जाती है। प्राप्त दरें वित्तिय वर्ष 2021–22 के लिए मान्य होंगी।

क्र. सं.	फर्नीचर का विवरण	क्रय कीसंभावित मात्रा	अनुमानित लागत
1.	**Executive Table**	**03 नग**	1.98 लाख
2.	**Executive Chair**	**03 नग**	
3.	**Visitor chair**	**20 नग**	

अतः उक्त प्रकार से **फर्नीचर क्रय** हेतु अपनी दरें फर्म के लेटर हैड में बन्द लिफाफे में दिनाक 07.03.2022 को अपरान्ह 3.00बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर''**फर्नीचर क्रय** हेतु निविदा'' लिखा होना चाहिये। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी समय किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नोटः–उक्त कार्य के बिलों का भुगतान संबंधित फर्म के बैक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

परियोजना निदेशक
(आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवंप्रा0निधि विभाग राज0जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in email: pd.rghs@rajasthan.gov.in
Phone: 0141-2740219

विषयः–फर्नीचर क्रय करने का निविदा प्रपत्र।

1. नाम फर्म /कम्पनी /संस्थाः–.....

पता :–.....

मोबाईल नं. :–.....

पैन न .:–.....

फर्म का रजि. न .:–.....

GST न .:–.....

1. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक .....
2. परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग वित्त भवन, जयपुर, में फर्नीचर, आपूर्ति हेतु दरें दी जानी है।

क्र. सं.	फर्नीचर का विवरण/स्पेसिफिकेशन	क्रय की संभावित मात्रा	अनुमानित फर्नीचर की लागत	प्रति नग दर समस्त कर सहित(अंकों एवं शब्दों)
1	**EXECUTIVE TABLE** - PROVIDING AND PLACING OFFICE TABLE SIZE 1800MM X 900MM X 750MM (L X W X H). THE WORKTOP WILL BE IN SINGLE PIECE MADE UP OF PRELAMINATED BOARD. THE WORKTOP SHALL BE MADE THE MODESTY OF THE TABLE IS ALSO MADE UP OF 17MM THICK. PRELAMINATED BOARD WHICH IS ATTACKED WITH THE HORIZONTAL PANELS CREATED UNDER SECOND TOP UNDER MAIN TABLE TOP. THERE SHALL BE AN STANDARD SPACE FOR VISITOR CHAIR IN FRONT OF MODESTY PANEL. THE SIDE PANELS ARE ALSO MADE UP OF 17MM THICK PRELAMINATED BOARD WITH 2MM THICK NOT MELT PVC EDGE BANDING. 2 DRAWER PEDESTAL SHALL BE PROVIDED SIZE : 450MM W X 450MM D X 685MM H AND ONE STORAGE PLACE.	03 नग	1.98 लाख	
2	**EXECUTIVE CHAIR** - SUPPLY AND FIXING OF HIGH BACK OFFICER EXECUTIVE LEOMA WITH HEADREST CHAIR FRAME MATERIAL MILD STEEL, SEAT MATERIAL - LEATHERETTE UPHOLSTERED, BACK MATERIAL - LEATHERETTE UPHOLSTERED, BASE MATERIAL - FIBRE, OVERALL HEIGHT1000MM, SEAT SIZE - 500X500MM, BACK SIZE - 500 X 680MM ISI MARKA MAKE BRAND AS PER DIRECTION OF ENGINEER IN CHARGE.	03 नग		
3	**VISITOR CHAIR** - SUPPLY AND FIXING OF SS LEATHER OFFICE VISITOR CHAIR (HEIGHT - 33")BLACK COLOUR WITH FOAM SEAT (18"X18") & BACK (18"X18")FOR OFFICE USE OF APPROVED MAKE BRAND QUALITY AS PER DIRECTION OF ENGINEER CHARGE.	20 नग		

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in email: pd.rghs@rajasthan.gov.in
Phone: 0141-2740219

फर्नीचर, क्रय करने की सामान्य शर्ते

1. समस्त निविदायें सीलबन्द लिफाफे में निविदा सूचना के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, द्वितिय तल, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग वित्त भवन, जयपुर के पते पर भिजवायें।
2. निविदा प्रपत्र में दी गयी दर किसी भी परिस्थितियों में बदली नही जावे। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ –साथ शब्दों में किया जावे। कटिंग होने की स्थिति में उस पर लघु हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित करना आवश्यक है।
3. आप द्वारा प्रस्तुत दरें वित्तीय वर्ष 2021–22 तक के लिए मान्य होंगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा फर्नीचर आपूर्ति का कार्य किसी अन्य एजेंसी/फर्म को नहीं सौपेगा या उपभाड़े (सब्लेट) पर फर्नीचर आपूर्ति नहीं देगा।
5. फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की वारंटी अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी। फर्नीचर खराब होने पर स्वयं के खर्चे पर ठीक करना होगा। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की अलग से राशि देय नहीं होगी।
6. आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की जाँच उपापन समिति प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन/नमूने के अनुसार कराई जायेगी।
7. आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर का नमूना विभाग को प्रस्तुत करना होंगा।
8. फर्म को स्पेसिफिकेशन/नमूने के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति करनी होगी।स्पेसिफिकेशन/नमूने के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
9. निविदा केवल उन्हीं फर्मो/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये जो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड या अनुमोदित वितरक हो या उनके द्वारा दिया जाना चाहिये जो वास्तव में उस सामान को बेचते /तैयार करते हो, सप्लायर हो जिसके लिये निविदा दी गई है।
10. निविदा देने वाली फर्म को निविदा की शर्ते भली भाँति पढ़ लेना चाहिये, यदि इसमें कोई संदेह हो तो इस कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग कमरा नं0 डी–204 में सम्पर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें।
11. फर्नीचर की आपूर्ति स्फेशिफिकेशन/नमूने के अनुसार नहीं होने पर अनुबंध/आदेश किसी भी समय भंग किया जा सकता है।
12. निविदा स्याही से भरनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरे गये निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदा देने वाले को प्रपत्र के हर पृष्ठ/ पन्ने के अन्त में निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्तो को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिये ।
14. सरकार किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नही कि वह निम्न दर निविदा को ही स्वीकार करें । वह किसी भी निविदा को उसके कारणो को बताये बिना अस्वीकार/रद्द कर सकती है । निविदादाता द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं/कार्यो में से सरकार के निर्णयानुसार उन सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा /कार्य के लिए आदेश दिये जा सकते है।
15. किसी प्रकार का विवाद होने पर परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग वित्त भवन, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
16. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार 0.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी।
17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 के अनुसार निर्धारित 15 दिवस में 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र का निष्पादन करना होगा।
18. फर्नीचर की आपूर्ति आदेशानुसार दिये गये समय के अनुसार करनी पड़ेगी। समय पर आपूर्ति नहीं किये जाने कि स्थिति में नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी इसके लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. राजस्थान लोग उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे जिसमें निहित शर्तो की पालना के लिए अनुबन्धित फर्म बाध्य होगी ।
20. फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 07-03-2022 दोपहर 2.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

परियोजना निदेशक
(आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवंप्रा0निधि विभाग राज0जयपुर

मैं /हम परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग वित्त भवन, जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या .. ..वर्ष ..... दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तो को भली भाँति पढ़ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना करने के लिए सहमत है एवं सहमति के स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर